

(Handwritten signature)

12. विषय वस्तु प्रथम इतना रिपाई.....
 11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं
 10. यूआई ईई लिफ सम्पत्तिया का कुल मूल्य :- 18,25,000 /-
 9. यूआई/लिफ सम्पत्ति की विवरितिया - अन्य
 8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतना देने में विलम्ब का कारण :- कोई नहीं
- वैसालम्बर**
- विजय नगर जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त उप निवेशन विभाग नाचना जिला
1. श्री कौशला बन्द पुत्र श्री छानलाल जालि जाट उम्र 45 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम जालिया द्वितीय
 7. जाल/अजाल सटिश्य अभियुक्ता का ब्यौरा सम्पूर्ण विवरितिया सहित-
 - (य) व्यवसाय -
 - (र) पता -
 - (स) जन्म तिथि/वर्ष -
 - (द) राष्ट्रियता -
 1. (अ) नाम - जसिय सरकार (ब) पिता/पति का नाम -
6. परिवादी व सहेपरिवादी/सूचनाकर्ता का नाम
- पुलिस थाना
- (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
- थीट संख्या
- जरायमदेही संख्या
- (ब) पता :- जालपुर आसिया रोड टोल नाका रामपुरा, मथानिया जिला जालपुर
- (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - बरख उत्तर करीब 40 कि०मी० दूर
5. घटना स्थल -
4. सूचना की किस्म - लिखित/माखिक - माखिक
- स. थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.04.2022 समय -
- ब. अपराध के घटने का दिन - बुधवार दिनांक 13.04.2022 समय - 10.10 पी.एम.
3. अ. रोजनामया आम रपट संख्या - 258 - समय - 2:00 pm
- (द) अन्य अधिनियम - धाराएं -
- (स) अधिनियम - धाराएं -
- (ब) अधिनियम - भादस धाराएं - 120 बी
2. (अ) अधिनियम - पी.सी. एक्ट, (संशोधित) 2018 धाराएं - 13 (1) (बी)
- प्र. ई. रि. स. - 130/2022 दिनांक - 14/4/2022
1. जिला - अ.नि.ब्यूरो जालपुर ग्रामीण थाना - प्र. आ. केन्द अ. नि. ब्यूरो, जालपुर

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

प्रथम सूचना रिपाई



दलीफान उच्छाहिकारियाँ को दी गई।

मोबाइल नं. 9610597007 पर कब्रक गवाहन वार्ता की जाकर दी गई। आकस्मिक बौकिंग की संवना जसिये जालिया द्वितीय विजय नगर जिला अजमेर को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाइल से श्री हरिसम के संवना आरपी श्री कैलाश चन्द के कहे अर्जसार उनके संगे छोट भाई श्री हरिसम पुत्र श्री छानलाल निवासी निरफराही कब्रक गवाहन दिनांक 14.04.2022 को वक्त 01.00 एएम पर निरफराह किया जाकर निरफराही की निवेशन विभाग नाचना जिला जैसलमेर को उसके द्वारा किये गये जर्म से आगाह कर हस्त कायदा जसिये फर्द नौकरी निवासी गम जालिया द्वितीय विजय नगर जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक कायदा विभाग उप बाद आकस्मिक बौकिंग/खाना तलाशी श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री छानलाल जालि जाट उम्र 45 वर्ष पेशा उपर्यक्त के अलावा कोई सामग्री/सद्विष्य दस्तावेज नहीं पाये गये व न ही कब्जा ब्यारे लिये गये।

अर्जसार श्री इन्दल को सिपुर्द किया गया।

पुनःसिपुर्द किये गये। गहन संख्या आरजे 51 सी.ए. 1877 आरपी श्री कैलाश चन्द वरिष्ठ लिपिक के कहे पाया गया समस्त समान एवं राशि 4000/- रु. कब्रक गवाहन के उक्त गहन वालक श्री इन्दल को बलाया गया। श्री इन्दल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक होने से श्री इन्दल की जामा तलाशी में इन्दल के पास पाई गई राशि के बारे में पूछने पर बलाया कि उक्त राशि भरे स्वयं के खर्च के लिये होने सिम नं. 8769169930 एवं स्वयं का आहार काले, इंडीविंग लाईसेंस व 4000/- रु0 राकड पाये गये। श्री लिवाई जाने पर उसके पास एक इनाफिक्स कम्पनी का एन्डोयड मोबाइल फोन जिसमें एक जीओ कम्पनी की गया। तत्पश्चात वक्त आकस्मिक बौकिंग गहन वालक श्री इन्दल की जामा तलाशी गवाह श्री बाबूलाल से आरसी होने पाई गई उक्त मोबाइल एवं गहन की आरसी तथा इंडीविंग लाईसेंस को कब्जा एसीबी लिया स्वयं का इंडीविंग लाईसेंस संख्या आरजे 1520090020788 एवं उक्त गहन संख्या आरजे 51 सी.ए. 1877 की 9116319930 होने पाई गई एवं श्री कैलाशचन्द वरिष्ठ लिपिक के पढ़ने हुए कमीज के सामने की बायीं जेब में सिम पाई गई एक सिम बोजफोन नं. 9982992060 एवं दुसरी सिम एयरटेल कम्पनी की जिसके नं. -1 के आईएमईआई नं. 864419053968274 एवं स्लॉट -2 के आईएमईआई नं. 864419053968266 जिसमें दो जामा तलाशी गवाह श्री बाबूलाल से लिवाई जाने पर एक विवो कम्पनी का एन्डोयड मोबाइल जिसके स्लॉट उक्त राशि को सद्विष्य मानते हुए कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री कैलाश चन्द वरिष्ठ लिपिक की पास पाई गई राशि 18 लाख 25 हजार रु. के समस्त दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं होने के कारण स्वतंत्र गवाहन से लिवाई जाने पर गाड़ी में कोई दस्तावेज/सद्विष्य राशि नहीं पाई गई। श्री कैलाश चन्द के खरीद करना बलाया जा वर्तमान में 130839 कि.मी. वाली हुई पाई गई। जिस पर उक्त गहन की तलाशी लिपिक से उक्त गहन के बारे में पूछने पर बलाया कि उक्त गहन स्वयं के नाम होकर बैंक से लोन लेकर की एवल में लिये थे उक्त दोनों व्यक्ति के फंसले महफरवी 2022 में किये थे। श्री कैलाशचन्द वरिष्ठ बरीसालसिंह निवासी आसकन्दा एवं श्री भोमारम निवासी आसकन्दा की हिक्की का फंसला उनके हक में करने पहुंचाने हेतु आज ही दिये थे। उक्त राशि नरेन्द्र सिंह उपर्यक्त द्वारा श्री सोहनसिंह निवासी आसकन्दा, श्री बलाया कि श्री नरेन्द्रपालसिंह आरएएस उपर्यक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा जयपुर में स्थित अपने आवास पर दस्तावेज नहीं पाये गये। उक्त बैंग में पाई गई राशि के बारे में श्री कैलाशचन्द वरिष्ठ सहायक से पूछने पर दो जोड़ी कपडे एवं पायजामा पाया गया। उक्त दोनों बैंगों में उक्त राशि के अलावा कोई सद्विष्य राशि या

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्दपत्र शिकायत बिना नबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमरगाम खोखर, पुलिस निरीक्षक, अखाचार निरीक्षक ब्यारी, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जूम अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) अखाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं एवं 120बी भादस में अभियुक्त श्री कौलाश चन्द, वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपर्युक्त उप निवेशन विभाग, नचना जिला जैसलमेर एवं अन्य के विरुद्ध एटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 130/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफतीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
अखाचार निरीक्षक ब्यारी, जोधपुर

कमांक 1153-57 दिनांक 14.04.2022

प्रतिलिपि:-सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

1. विविध न्यायाधीश एवं क्षेत्र न्यायालय, अखाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अखाचार निरीक्षक ब्यारी, जोधपुर।
3. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, अखाचार निरीक्षक ब्यारी, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अखाचार निरीक्षक ब्यारी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
अखाचार निरीक्षक ब्यारी, जोधपुर।